Indian art objects in U.K.

1842. SHRI SHANTI TYAGI: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that thousands of Indian artefacts are gathering dust in a warehouse in South London for the past three decades;

(b) if so, whether Government have taken up the matter with the British Government for the returning back of the entire lot of art objects to India; and

(c) if so, what is U.K. Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not Aries.

असंगठित श्रमिकों के कल्याण हेतु कार्य योजना

1843. **श्रीमती रेणुका चौधरी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असंगठित श्रमिकों के कल्याण हेतु एक कार्य योजना बनाने के लिए राज्य सरकारों से आग्रह किया है ताकि सातवीं योजना के अंतिम तीन वर्षों में उनके कल्याण के लिए अधिक धनराशि दी जा सके ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य योजना की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इस कार्य योजना (एक्शन प्लान) के क्रियान्वयन में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) 20 मई, 1987 को हुए श्रम मंत्री सम्मेलन के 36 वें अधिवेशन में लगभग पूर्णतः असंगठित श्रमिकों की समस्याओं के बारे में विचार-विमर्श किया गया । सम्मेलन के निष्कर्षों का विवरण संलग्न है ।

विवरण

श्रम मंत्री सम्मेलन के 20 मई, 1987 को हुए 36वें अधिवेशन के निष्कर्ष ।

1. श्रम मंत्रियों ने प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी के इस आह्वान का समर्थन किया कि देश के श्रमिक बल के 90% को, जो संगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं, केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिकता दी जाए । उन्होंने प्रधान मंत्री की इस घोषणा का भी स्वागत किया कि असंगठित श्रमिकों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को जांच करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण श्रमिक आयोग गठित किया जाएगा । सम्मेलन ने आग्रह किया कि उक्त आयोग का गठन यथाशीघ्र अधिसूचित किया जाए ।

2. असंगठित श्रमिकों का दर्जा बढ़ाने के उद्देश्य से, यह आवश्यक है कि उनसे घनिष्ठता से संबंधित श्रम कानूनों को लागू किया जाए । इनमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन विनियम और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979, ढेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 बंधित श्रम पद्धति (उत्सान) अधिनियम, 1976, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 बाल श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1986 बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1986 आदि आते हैं । बागानों और निर्माण उद्योग [illegible] असंगठित श्रमिकों [illegible] क्षुओं की समस्याओं पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है । कर्मकारों की सुरक्षा पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है ।

3. इस बात पर [illegible] न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का "गरीबी की रेखा" की धारणा